संख्या– 437 / अठ्ठासी–09–94खा / 09

प्रेषक,

देश दीपक वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
उ0 प्र0, लखनऊ।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2010

विषय : **खाद्य अपमिश्रण व नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्व त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स के गठन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एवं विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यालय आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1. उद्देश्य :

(i) खाद्य अपमिश्रण एवं नकली, मिथ्याछाप व अधोमानक औषधियों के उत्पादन एव विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों/माफियाओं के विरूद्व अभिसूचना आधारित प्रवर्तन की कार्यवाही करना।

(ii) उपरोक्त अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार करके उसका कियान्वयन करना।

(iii) उपरोक्त अपराधियों के विरूद्व पुलिस एवं अभिसूचना इकाईयों के साथ समन्वयन स्थापित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करना।

(iv) संगठित अपराध करने वाले अर्न्तजनपदीय अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही करना।

2. बल की शक्ति एवं दायित्व :

(i) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स द्वारा किसी भी संबंधित शाखा अथवा इकाई से आपराधिक अभिसूचना व अन्य विवरण प्राप्त किये जा सकेगे।

(ii) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपने क्षेत्र में निम्न शक्तियॉ प्रदान की जाती है :

.....2

(a) टास्कफोर्स में सम्मिलित खाद्य निरीक्षकों को Search, Seizure एवं अन्य वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली 1955 एवं अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(b) टास्कफोर्स में सम्मिलित औषधि निरीक्षकों को Search, Seizure एवं अन्य वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो औषधि एव्र प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 एवं अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(c) टास्कफोर्स में सम्मिलित पुलिस उपाधीक्षक एवं निरीक्षक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–272 से 276 में कार्यवाही करने हेतु वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो दण्ड प्रकिया संहिता तथा अन्य विधियों के अधीन प्राप्त है।

(iii) एफ0डी0ए0 टास्टफोर्स अपने कार्यक्षेत्र में स्थित किसी भी थाने में उपरोक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के विरूद्व अभियोग पंजीकृत कराने हेतु सक्षम होगी।

3. संगठनात्मक ढ़ाँचा एवं जनशक्ति :

एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स अपर आयुक्त (अभिसूचना/प्रवर्तन) के नेतृत्व में कार्य करेगा। आवश्यकता के अनुसार इसमें समय–समय पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों/पुलिस कर्मियों को शासन द्वारा निर्धारित संख्या में तैनात किया जायेगा। बल का स्वरूप स्थायी प्रकृति का न होकर एक सीमित अवधि के लिए होगा तथा इसके लिए आवश्यक जनशक्ति विभिन्न शाखाओ में पुर्नयोजित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी तथा सीमित अवधि के उपरान्त उपलब्ध कराये गये संसाधन/जनशक्ति विभिन्न इकाईयों में यथावश्यकता समायोजित कर दिये जायेंगे।

एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स में अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन के अधीन 01 उपाधीक्षक, 01 सहायक आयुक्त, 01 विधि अधिकारी, 04 पुलिस निरीक्षक, 02–02 मुख्य खाद्य निरीक्षक व औषधि निरीक्षक तथा 02 खाद्य निरीक्षक होगे, जिन्हे अभिसूचना संकलन एवं प्रवर्तन कार्य के लिए अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन द्वारा योजित किया जायेगा। पूर्णकालिक बल के अतिरिक्त निम्न इकाईयों द्वारा एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को इसके उददेश्यों की पूर्ति हेतु अपेक्षित सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :

(i) समस्त जिलाधिकारी/जनपदीय पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक उक्त अपराधियो के विरूद्व कार्यवाही में एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपेक्षित सहायता प्रदान करेंगें।

(ii) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं बाट एवं माप विभाग के अधिकारी एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स को अपेक्षित सहायता प्रदान करेगें।

इस बल के सदस्यो को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन हेतु अलग से व्यवस्था की जायेगी।

4. कार्य पद्धति :

(i) एफ0डी0ए0 टास्कफोर्स की गतिविधियों का समन्वयन अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन द्वारा किया जायेगा।

.....3